पत्र संख्या- सचलदल / 203 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(सचलदल-अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक: फरवरी: 8, 2017

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक 08-02-2017 को उत्तर प्रदेश विधान-सभा सामान्य निर्वाचन 2017 के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में निर्देशित किया गया है कि वाणिज्य कर विभाग के समस्त सचलदल इकाईयों द्वारा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश से गुजरने वाले उन वाहनों की गहन जांच की जाय, जो ट्रांजिट परमिट लेकर चलते हों, साथ ही प्रदेश के बाहर से प्रदेश में आने वाले एवं प्रदेश के अन्दर चलने वाले वाहनों की भी सघन जांच की जायेगी, ताकि विधान-सभा के प्रत्याशियों एवं उनसे जुड़े व्यक्तियों/समर्थकों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करते हुए मतदाताओं को प्रलोभित करने हेतु विभिन्न वस्तुओं का परिवहन करके वितरण न किया जा सके। अत: ऐसे सभी वाहन जो संदिग्ध नजर आयें एवं बिना बिल तथा अन्य विधिक प्रपत्रों के अभाव में चल रहे हों, उन पर तत्काल प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाय, ताकि सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि में उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से वस्तुओं का परिवहन, भण्डारण एवं वितरण न हो पाये। इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन सचलदल के अधिकारी द्वारा 5-00 बजे तक कन्ट्रोल रुम में दर्ज करायी जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सीमावर्ती जिलों में तैनात मोबाइल स्क्वैडस को इस सम्बन्ध में विशेष सतर्क किए जाने के निर्देश दिए गये हैं एवं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न करने वाले अधिकारियों को तत्काल निलम्बित करने की मंशा व्यक्त की गयी है।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा) एवं ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा)वाणिज्य कर द्वारा प्रतिदिन की कार्यवाही का अनुश्रवण किया जायेगा और विभिन्न सूत्रों एवं श्रोतों से यह पता लगाने का प्रयास किया जायेगा कि कोई भी वाहन एवं सामान गैर कानूनी तरीके से आदर्श आचार संहिता का उलंघन करके उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं का नि:शुल्क वितरण करने एवं प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के उददेश्य से परिवहन नहीं किया जा रहा है।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

8/02/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0स0 व दिनांक उक्त ।

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0शासन ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/ ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।

8/2/17
(प्रिन्स कुमार)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(सचलदल)
वाणिज्य कर,मुख्यालय, लखनऊ।